

31/1/25  
18-1-06

Request 811

871

Reg. No. ....	.....
Serial No. ....	35
.....	IV/2765

आवेद

श्री बच्चू लाल, विशेष न्यायाधीश, ई.सी.एक्ट, मेरठ ने अपने भविष्य निधि खाता सं.एल.के.यू.21605 में से कुल 40 हजार रुपये अर्थात् अग्रिम पुत्र की शिक्षा हेतु आवेदन किया है।

3-3-06

मैंने सेवा लिपिक की अर्हता का अवलोकन किया। सामान्य भविष्य निधि [उ.पु.] नियमावली 1985 के नियम 13(1) के छाठ-दो के उपलब्ध [उ.] के अन्तर्गत अर्थात् अग्रिम स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है। उक्त नियम के उप नियम 4 के अन्तर्गत तीन माह का मूल वेतन स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है। साथ ही सामान्य भविष्य निधि [उ.पु.] नियमावली 1985 की द्वितीय अनुसूची [नियम-13] के परिशिष्ट-1 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

अतः मैं विद्य शंकर, जमाद न्यायाधीश, मेरठ वित्तीय हस्तु रिकार्ड छाठ 5 भाग। के पैराग्राफ 249 [3] में निहित अधिनारी का प्रयोग करते हुए श्री बच्चू लाल, विशेष न्यायाधीश, ई.सी.एक्ट को उनके द्वारा याचित धनराशि कुल 40 हजार रुपये अर्थात् अग्रिम अहरित करने की अनुमति प्रदान करता हूँ। अहरित धनराशि को अधिनारी महोदय 2,000/- रुपये की बीस मासिक बिलों में कटौती करायेंगे। इस आदेश की प्रति निम्न-विभागों को भेजी जाये:-

दिनांक:-

80  
विद्य शंकर 6-10-05  
जमाद न्यायाधीश,  
मेरठ।

प्रतिलिपि:- पतांक-31A/XV 1507-1-06

- 1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, सेवा एवं कक्षारी। द्वितीय, बलाहाबाद।
- 2) महा निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, उ.पु. बलाहाबाद।
- 3) मुख्य कौशलिकारी, मेरठ।
- 4) क्लर्क के साथ।
- 5) सम्बन्धित अधिनारी।

Administrative Officer  
Civil Courts, Meerut

D.R. (M) :- Only for  
information. may file?

File  
Jernwalawa  
10/03/06

2/3/06

278  
S.O. Admin. M/A

D.R. (M)  
18-1-06

12  
D.L. (M)

18 JAN 2006

S. B. K. S.

S.O.  
4-3-06